Halaal Tariqe Se Kamaane Ke 50 Madani Phool (Hindi)

हलाल तरीक़े से कमाने के 50 म-दनी फूल

शैख़े तरीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, हज़रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल
मुहम्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी र-ज़वी دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

किताब पढ़ने की दुआ

अज़ : शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, ह़ज़रते अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल **मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी** र-ज़वी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

दीनी किताब या इस्लामी सबक़ पढ़ने से पहले ज़ैल में दी हुई दुआ़ पढ़ लीजिये اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा। दुआ़ येह है :

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

तरजमा : ऐ **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ ! हम पर इ़ल्मो ह़िक्मत के दरवाज़े खोल दे और हम पर अपनी रह़मत नाज़िल फ़रमा ! ऐ अ़-ज़मत और बुज़ुर्गी वाले। (اَلْمُستطرَف ج۱ ص۴۰ دارالفکر بیروت)

नोट : अव्वल आख़िर एक एक बार दुरूद शरीफ़ पढ़ लीजिये।

त़ालिबे ग़मे मदीना
व बक़ीअ़
व मग़्फ़िरत

13 शव्वालुल मुकर्रम 1428 हि.

ह़लाल त़रीक़े से कमाने के 50 म-दनी फूल

येह रिसाला **(ह़लाल त़रीक़े से कमाने के 50 म-दनी फूल)**

शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी ह़ज़रत अ़ल्लामा मौलाना अबू बिलाल **मुह़म्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी** र-ज़वी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ने **उर्दू** ज़बान में तह़रीर फ़रमाया है।

मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी) ने इस रिसाले को **हिन्दी** रस्मुल ख़त़ में तरतीब दे कर पेश किया है और मक-त-बतुल मदीना से शाएअ़ करवाया है। इस में अगर किसी जगह कमी बेशी पाएं तो मजलिसे तराजिम को (ब ज़रीअ़ए मक्तूब, ई-मेइल या SMS) मुत़्त़लअ़ फ़रमा कर सवाब कमाइये।

राबित़ा : मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी)
मक-त-बतुल मदीना, सिलेक्टेड हाउस, अलिफ़ की मस्जिद के सामने,
तीन दरवाज़ा, अह़मदआबाद-1, गुजरात
MO. 9374031409 E-mail : translationmaktabhind@dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

ह़लाल त़रीक़े से कमाने के 50 म-दनी फूल

शैत़ान लाख रोके मगर येह रिसाला (22 सफ़ह़ात)
मुकम्मल पढ़ कर अपनी आख़िरत का भला कीजिये ।

दुरूद शरीफ़ की फ़ज़ीलत

अमीरुल मुअमिनीन ह़ज़रते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीक़ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ से रिवायत है कि नबिय्ये करीम, रऊफ़ुर्रह़ीम عَلَیْہِ اَفْضَلُ الصَّلٰوۃِ وَالتَّسْلِیْم पर **दुरूदे पाक** पढ़ना गुनाहों को इस क़दर जल्द मिटाता है कि पानी भी आग को उतनी जल्दी नहीं बुझाता और नबी صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم पर **सलाम** भेजना गरदनें (या'नी ग़ुलामों को) आज़ाद करने से अफ़्ज़ल है । (تاریخ بغداد ج۷ ص ۱۷۲)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! जिस को मुलाज़िम रखना है उसे मुलाज़िम रखने के और जिस को मुला-ज़मत करनी है उसे मुला-ज़मत के ज़रूरी अह़काम जानने **फ़र्ज़** हैं। अगर ह़स्बे ह़ाल नहीं सीखेगा तो गुनहगार और अ़ज़ाबे नार का ह़क़दार होगा और न जानने की वजह से बार बार गुनाहों का इब्तिला मज़ीद बरआं (या'नी इस के इलावा) । इस रिसाले में सिर्फ़ चीदा चीदा मसाइल दर्ज किये गए हैं मज़ीद मा'लूमात के लिये ''बहारे शरीअ़त'' जिल्द 3 **सफ़ह़ा** 104 ता 184 पर ''इजारे का बयान''

फ़रमाने मुस्त़फ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह عَزَّوَجَلَّ उस पर दस रह़मतें भेजता है। (مسلم)

पढ़ लीजिये। पहले ह़लाल रोज़ी की फ़ज़ीलत और ह़राम रोज़ी की तबाह कारियां मुख़्तसरन पेश की जाती हैं, **अल्लाह तबा-र-क व तआ़ला** 12वें पारे की पहली आयत में इर्शाद फ़रमाता है :

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا

तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : और ज़मीन पर चलने वाला कोई ऐसा नहीं जिस का रिज़्क़ **अल्लाह** के ज़िम्मए करम पर न हो।

मुफ़स्सिरे शहीर **ह़कीमुल उम्मत** ह़ज़रते मुफ़्ती अह़मद यार ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْحَنَّان "नूरुल इरफ़ान" में फ़रमाते हैं : ज़मीन पर चलने वाले का इस लिये ज़िक्र फ़रमाया कि हम को इन्हीं का मुशा-हदा होता है (या'नी नज़र आते हैं) वरना जिन्नात वग़ैरा को (भी) रब (عَزَّوَجَلَّ) (ही) रोज़ी देता है। उस की रज़्ज़ाक़िय्यत सिर्फ़ हैवानों में **मुन्ह़सिर** नहीं, फिर जो जिस रोज़ी के लाइक़ है उस को वोही मिलती है। बच्चे को मां के पेट में और क़िस्म की रोज़ी मिलती है और पैदाइश के बा'द दांत निकलने से पहले और त़रह़ की, बड़े हो कर और त़रह़ की। (नूरुल इरफ़ान, स. 353 बि तग़य्युर क़लील)

ह़लाल रोज़ी के बारे में 5 फ़रामीने मुस्त़फ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

﴾1﴿ सब से ज़ियादा पाकीज़ा खाना वोह है जो अपनी कमाई से खाओ[1] ﴾2﴿ बेशक **अल्लाह तआ़ला** मुसल्मान पेशावर को दोस्त रखता है[2] ﴾3﴿ जिसे मज़दूरी से थक कर शाम आए उस की वोह शाम, शामे मग़्फ़िरत हो[3] ﴾4﴿ पाक कमाई वाले के लिये जन्नत है[4] ﴾5﴿ कुछ गुनाह ऐसे हैं जिन का कफ़्फ़ारा न नमाज़ हो न रोज़े न ह़ज न उ़म्रह। उन का कफ़्फ़ारा वोह परेशानियां होती हैं जो आदमी को तलाशे मआ़शे ह़लाल में पहुंचती हैं।[5]

مدینہ

1 ترمذی ج۳ص۷۶حدیث۱۳۶۳ 2 مُعْجَم اَوسَط ج۶ص۳۲۷حدیث۸۹۳۴ 3 ایضاً ج ٥ ص ۳۳۷ حدیث۷۵۲۰ 4 ایضاًص۷۲حدیث٤٦١٦

5 : ایضاً ج۱ص٤۲حدیث۱۰۲, फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 29, स. 314 ता 317

लुक़्मए ह़लाल की फ़ज़ीलत

हमें हमेशा ह़लाल रोज़ी कमाना, खाना और खिलाना चाहिये लुक़्मए ह़लाल की तो क्या ही बात है चुनान्चे **दा'वते इस्लामी** के इशाअ़ती इदारे **मक-त-बतुल मदीना** की मत़्बूआ़ 1548 सफ़ह़ात पर मुश्तमिल किताब, **''फ़ैज़ाने सुन्नत''** जिल्द अव्वल **सफ़ह़ा** 179 पर है : ह़ज़रते सय्यिदुना इमाम मुह़म्मद ग़ज़ाली عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِى **एह़याउल उ़लूम** की दूसरी जिल्द में एक बुज़ुर्ग رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه का क़ौल नक़्ल करते हैं कि **मुसल्मान जब ह़लाल खाने का पहला लुक़्मा खाता है, उस के पहले के गुनाह मुआ़फ़ कर दिये जाते हैं ।** और जो शख़्स त़-लबे ह़लाल के लिये रुस्वाई के मक़ाम पर जाता है उस के गुनाह दरख़्त के पत्तों की त़रह़ झड़ते हैं । **(اِحیاءُ الْعُلوم ج۲ ص۱۱۶)**

ह़राम रोज़ी के बारे में 4 फ़रामीने मुस्त़फ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

﴿1﴾ एक शख़्स त़वील सफ़र करता है जिस के बाल परेशान (बिखरे हुए) हैं और बदन गर्द आलूद है (या'नी उस की ह़ालत ऐसी है कि जो दुआ़ करे वोह क़बूल हो) वोह आस्मान की त़रफ़ हाथ उठा कर या रब ! या रब ! कहता है (दुआ़ करता है) मगर ह़ालत येह है कि उस का खाना ह़राम, पीना ह़राम, लिबास ह़राम और ग़िज़ा ह़राम फिर उस की दुआ़ क्यूंकर मक़्बूल हो ![1] (या'नी अगर क़बूले दुआ़ की ख़्वाहिश हो तो कस्बे ह़लाल इख़्तियार करो) ﴿2﴾ लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा कि आदमी परवाह भी न करेगा कि इस चीज़ को कहां से ह़ासिल किया है, ह़लाल से या ह़राम से[2] ﴿3﴾ जो बन्दा माले ह़राम ह़ासिल करता है,

[1] مسلم ص۵۰۶ حدیث۶۵-(۱۰۱۵) [2] بخاری ج۲ ص۷ حدیث۲۰۵۹

फ़रमाने मुस्त़फ़ा صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَ اٰلِہٖ وَسَلَّم : जिस के पास मेरा ज़िक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़ा तह़क़ीक़ वोह बद बख़्त हो गया । (ابن سنی)

अगर उस को स-दक़ा करे तो मक़्बूल नहीं और ख़र्च करे तो उस के लिये उस में ब-र-कत नहीं और अपने बा'द छोड़ मरे तो जहन्नम को जाने का सामान है । **अल्लाह तआला** बुराई से बुराई को नहीं मिटाता, हां नेकी से बुराई को मिटाता है, बेशक ख़बीस (या'नी नापाक) को ख़बीस नहीं मिटाता[1] ﴾4﴿ जिस ने ऐब वाली चीज़ बैअ़ की (या'नी बेची) और उस (ऐब) को ज़ाहिर न किया, वोह हमेशा **अल्लाह तआला** की नाराज़ी में है या फ़रमाया कि हमेशा फ़िरिश्ते उस पर ला'नत करते हैं ।[2]

लुक़्मए ह़राम की नुहूसत

मुका-श-फ़तुल क़ुलूब में है : आदमी के पेट में जब लुक़्मए ह़राम पड़ा तो ज़मीन व आस्मान का हर फ़िरिश्ता उस पर ला'नत करेगा जब तक उस के पेट में रहेगा और अगर इसी ह़ालत में (या'नी पेट में ह़राम लुक़्मे की मौजू-दगी में) मौत आ गई तो दाख़िले जहन्नम होगा ।

(مکاشَفَۃُ القُلوب ص ١٠)

ह़लाल त़रीक़े से कमाने के 50 म-दनी फूल

﴾1﴿ **सेठ** और नोकर दोनों के लिये ह़स्बे ज़रूरत **इजारे** के शर-ई अह़काम सीखना **फ़र्ज़** है, नहीं सीखेंगे तो गुनहगार होंगे । (दा'वते इस्लामी के इशाअ़ती इदारे **मक-त-बतुल मदीना** की मत़्बूआ़ बहारे शरीअ़त जिल्द 3 ह़िस्सा 14 **सफ़ह़ा** 104 ता 184 में इजारे के तफ़्सीली अह़काम दर्ज हैं)

﴾2﴿ **नोकर** रखते वक़्त, मुला-ज़मत की मुद्दत, ड्यूटी के अवक़ात

1 مسندامام احمد بن حنبل ج٢ص٣٤حديث٣٦٧٢

2 : ابن ماجه ج٣ص٥٩حديث٢٢٤٧, बहारे शरीअ़त, जिल्द : 2, स. 610, 611, 672

और तन-ख़्वाह वग़ैरा का पहले से **तअ़य्युन** होना ज़रूरी है ।

﴾3﴿ **मेरे आक़ा** आ'ला ह़ज़रत इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : काम की तीन ह़ालतें हैं (1) सुस्त (2) मो'तदिल (या'नी दरमियाना और) (3) निहायत तेज़ । अगर मज़दूरी में (कम अज़ कम मो'तदिल भी नहीं मह्ज़) सुस्ती के साथ काम करता है गुनहगार है और इस पर पूरी मज़दूरी लेनी ह़राम । उतने काम (या'नी जितना इस ने किया है) के लाइक़ (मुत़ाबिक़) जितनी उजरत है ले, इस से जो कुछ ज़ियादा मिला मुस्ताजिर (या'नी जिस के साथ मुला-ज़मत का मुआ़-हदा किया है उस) को वापस दे ।

(फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 19, स. 407)

﴾4﴿ **कभी** काम में सुस्त पड़ गया तो ग़ौर करे कि "मो'तदिल" या'नी दरमियाना अन्दाज़ में कितना काम किया जा सकता है म-सलन कम्पयूटर ऑपरेटर है और रोज़ की 100 रुपिया उजरत मिलती है, दरमियाना अन्दाज़ में काम करने में रोज़ाना 100 सत़रें कम्पोज़ कर लेता है मगर आज मह्ज़ सुस्ती या ग़ैर ज़रूरी बातें करने के बाइ़स 90 सत़रें तय्यार हुईं तो 10 सत़रों की कमी के 10 रुपै कटोती करवा ले कि येह 10 रुपै लेना ह़राम है, अगर कटोती न करवाई तो गुनहगार और नारे जहन्नम का ह़क़दार है ।

﴾5﴿ चाहे गवर्नमेन्ट का इदारा हो या प्राइवेट **मुलाज़िम** अगर ड्यूटी पर आने के मुआ़-मले में उ़र्फ़ से हट कर क़स्दन ताख़ीर करेगा या जल्दी चला जाएगा या छुट्टियां करेगा तो उस ने मुआ़-हदे की क़स्दन ख़िलाफ़ वर्ज़ी का गुनाह तो किया ही किया और इन सूरतों

में पूरी तन-ख़्वाह लेगा तो मज़ीद गुनहगार और अ़ज़ाबे नार का ह़क़दार होगा । फ़रमाने इमाम अह़मद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن : "जो जाइज़ पाबन्दियां मश्रूत़ (या'नी त़ै की गई) थीं उन का ख़िलाफ़ **ह़राम** है और बिके हुए वक़्त में अपना काम करना भी **ह़राम** है और नाक़िस काम कर के पूरी तन-ख़्वाह लेना भी **ह़राम** है ।" (फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 19, स. 521)

﴾6﴿ गवर्नमेन्ट के इदारे का अफ़्सर देर से आता हो और उस की कोताही के सबब दफ़्तर देर से खुलता हो तब भी हर मुलाज़िम पर लाज़िम है कि त़ै शुदा वक़्त पर पहुंच जाए अगर्चे बाहर बैठ कर इन्तिज़ार करना पड़े । ख़ाइन व ग़ैरे मुख़्तार अफ़्सर का मुलाज़िम को देर से आने या जल्दी चले जाने का कहना या इजाज़त दे देना भी ना जाइज़ को जाइज़ नहीं कर सकता । वक़्त की पाबन्दी सभी पर ज़रूरी ही रहेगी ।

﴾7﴿ गवर्नमेन्ट इदारों में अफ़्सर और आ़म मुलाज़िम सभी का मख़्सूस वक़्त का इजारा होता है और हर एक को पूरी ड्यूटी देना लाज़िम होता है । बा'ज़ अवक़ात अफ़्सर वक़्त से पहले चला जाता है और अपने मा तह़्त मुलाज़िम से भी कहता है कि तुम भी जाओ ! चले जाने वाला अफ़्सर तो गुनहगार है ही अगर मुलाज़िम भी चला गया तो वोह भी गुनहगार होगा लिहाज़ा वाजिब है कि काम हो या न हो वहीं दफ़्तर में इजारे का वक़्त पूरा करे । जो भी इस त़रह़ चला जाएगा उसे तन-ख़्वाह में से कटोती करवानी होगी ।

अजीर की उजरत का मस्अला

सुवाल: मुलाज़िम वक़्त पर पहुंच गया मगर दफ़्तर की चाबी जिस के पास थी वोह ताख़ीर से आया या ग़ैर ह़ाज़िर रहा और दफ़्तर न खुल सका, ऐसी सूरत में जो मुलाज़िम आ चुका है उस की कटोती होगी या पूरी तन-ख़्वाह पाएगा ?

जवाब: अजीरे ख़ास दो त़रह़ के हैं : मुस्तक़िल मुलाज़िम (म-सलन तन-ख़्वाह दार नोकर) और यौमिय्या मुलाज़िम या'नी दिहाड़ी (Daily wages) पर काम करने वाला। दोनों को सूरते मस्ऊला (या'नी पूछी गई सूरत) में उजरत देने या न देने का दारो मदार उ़र्फ़ या सराह़त (या'नी साफ़ अल्फ़ाज़ में तै़ शुदा सूरत) पर है जैसे इजारे के दीगर बहुत से मसाइल का दारो मदार उ़र्फ़ या सराह़त पर है और हमारे यहां का उ़र्फ़ येह है कि मुस्तक़िल मुलाज़िम को तो सूरते मस्ऊला में उजरत दी जाती है जब कि दिहाड़ी (डेली वेजिज़, Daily wages) पर काम करने वाले को नहीं दी जाती अलबत्ता अगर किसी जगह का उ़र्फ़ इस से हट कर हो तो उस के मुत़ाबिक़ अ़मल किया जाएगा। यूंही उ़र्फ़ अगर्चे जो भी हो लेकिन अगर किसी क़िस्म की सराह़त मौजूद हो तो फिर उसी का ए'तिबार होगा।

(फ़तावा अहले सुन्नत ग़ैर मत़्बूआ़)

﴾8﴿ मुलाज़िम दफ़्तर या दुकान पर आने जाने का वक़्त रजिस्टर वग़ैरा में दुरुस्त लिखे, अगर ग़लत़ बयानी से काम लिया और ड्यूटी कम देने के बा वुजूद पूरे वक़्त की तन-ख़्वाह ली तो गुनहगार व अ़ज़ाबे नार का ह़क़दार है।

﴾9﴿ वक़्त के इजारे में चाहे काम हो या न हो या जल्दी काम ख़त्म कर

लेने की सूरत में अगर वक़्त से पहले चला गया तो माले वक़्फ़ से उसे पूरी तन-ख़्वाह लेना या देना जाइज़ नहीं बल्कि जितने घन्टे म-सलन तीन घन्टे पहले चला गया तो उस क़दर उस की उजरत में से कमी की जाएगी । अलबत्ता निजी (या'नी प्राइवेट) इदारे का मालिक जानते हुए रिज़ा मन्दी के साथ पूरी तन-ख़्वाह दे दे तो जाइज़ है ।

﴾10﴿ जिन इदारों में बीमारियों की छुट्टियां दी जाती हैं वहां बीमार न होने के बा वुजूद झूट बोल कर या डॉक्टर की जा'ली (नक़्ली) चिट्ठी दिखा कर छुट्टी करना गुनाह है। जान बूझ कर झूटी चिट्ठी लिख कर देने वाला डॉक्टर भी गुनहगार और अ़ज़ाबे नार का ह़क़दार है ।

﴾11﴿ जिन इदारों में मुलाज़िमीन को इ़लाज की मुफ़्त सहूलतें फ़राहम की जाती हैं, इन में झूटे बहानों से दवा ह़ासिल करना, अपना नाम लिखवा या बता कर किसी दूसरे के लिये दवा निकलवा लेना वग़ैरा ह़राम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है । ऐसों के साथ जान बूझ कर तआ़वुन करने वाला भी गुनहगार है ।

﴾12﴿ तन-ख़्वाह ज़ियादा कराने और ओ़हदे वग़ैरा में तरक़्क़ी करवाने के लिये जा'ली (नक़्ली) सनद लेना ना जाइज़ व गुनाह है, क्यूं कि येह झूट और धोके पर मब्नी है ।

﴾13﴿ **मुलाज़िम** को चाहिये दौराने ड्यूटी चाक़ो चौबन्द रहे, सुस्ती पैदा करने वाले अस्बाब से बचे म-सलन **रात देर से सोने** के सबब बल्कि **नफ़्ली रोज़ा** रखने के बाइ़स अगर काम में कोताही हो जाती है तो इन अफ़्आ़ल से बाज़ रहे कि क़स्दन काम में सुस्ती करने वाला

अगर्चे कटोती करवा दे मगर अब भी एक त़रह़ से गुनहगार है, क्यूं कि इस ने काम करने का मुआ़-हदा किया हुवा है और इस मुआ़-हदे की रू से कम अज़ कम मो'तदिल या'नी दरमियाना अन्दाज़ में इस को काम करना ज़रूरी है । अभी "**फ़तावा र-ज़विय्या**" जिल्द 19 **सफ़ह़ा** 407 के ह़वाले से गुज़रा कि "अगर मज़दूरी में सुस्ती के साथ काम करता है गुनहगार है ।" ज़ाहिर है मुलाज़िम की बे जा सुस्तियों और छुट्टियों से सेठ के काम का नुक़्सान होता है बहर ह़ाल कोई पूछने वाला हो या न हो सुस्ती के बाइ़स काम में जितनी कमी हुई **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ से डरते हुए तन-ख़्वाह में उतनी कटोती करवाए, तौबा भी करे और मुस्ताजिर (या'नी जिस से इजारा किया है) उस से मुआ़फ़ी भी मांगे । हां निजी (Private) इदारा है और सेठ कटोती की रक़म भी मुआ़फ़ कर दे तो اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ **ख़लासी** (या'नी नजात) हो जाएगी ।

﴾14﴿ **अजीरे** ख़ास (या'नी जो मख़्सूस वक़्त में किसी एक ही सेठ या इदारे के काम का पाबन्द हो) उस मुद्दते मुक़र्ररा में (या'नी दौराने ड्यूटी) अपना ज़ाती काम भी नहीं कर सकता और अवक़ाते नमाज़ में **फ़र्ज़** और **सुन्नते मुअक्कदा** पढ़ सकता है **नफ़्ल** नमाज़ पढ़ना इस के लिये अवक़ाते इजारा में जाइज़ नहीं (जब कि सरा-ह़तन या उ़र्फ़न इजाज़त न हो) और जुमुआ़ के दिन नमाज़े जुमुआ़ पढ़ने के लिये जाएगा मगर जामेअ़ मस्जिद अगर दूर है कि वक़्त ज़ियादा सर्फ़ होगा तो उतने वक़्त की उजरत कम कर दी जाएगी और अगर नज़दीक है तो कुछ कमी नहीं की जाएगी अपनी उजरत पूरी

पाएगा । (बहारे शरीअ़त, जि. 3, स. 161, رَدُّالْمُحتَار ج ۹ ص ۱۱۸) (अगर ड्यूटी के दौरान नमाज़े इ़शा आई तो वित्र पढ़ सकता है)

﴾15﴿ अगर किसी उ़ज़्र की वजह से अजीरे ख़ास काम न कर सका तो उजरत का मुस्तह़िक़ नहीं है म-सलन बारिश हो रही थी जिस की वजह से काम नहीं किया अगर्चे ह़ाज़िर हुवा उजरत नहीं पाएगा (या'नी उस दिन की तन-ख़्वाह नहीं मिलेगी) । (ऐज़न, رَدُّالْمُحتَار ج ۹ ص ۱۱۷) अलबत्ता अगर इस की तन-ख़्वाह का भी उ़र्फ़ है तो मिलेगी कि ता'त़ीलाते मा'हूदा (या'नी जिन छुट्टियों का मा'मूल होता है उन) की तन-ख़्वाह मिलती है ।

﴾16﴿ **हर** मुलाज़िम अपने रोज़ाना के काम का एह़तिसाब (या'नी ह़िसाब किताब) करे कि आज ड्यूटी के अवक़ात में ग़ैर ज़रूरी बातों या बे जा कामों वग़ैरा में कितना वक़्त ख़र्च हुवा ? आने में कितनी ताख़ीर हुई ? वग़ैरा नीज़ ग़ैर वाजिबी छुट्टियों का शुमार कर के ख़ुद ही ह़िसाब लगा कर हर माह तन-ख़्वाह में **कटोती** करवा ले । दा'वते इस्लामी के जामिअ़तुल मदीना और दीगर शो'बों में बा'ज़ अजीर मोह़तात़ीन देखे हैं जो अपने मुशा-हरे (या'नी तन-ख़्वाह) में से हर माह एह़तियात़न कुछ न कुछ **कटोती** करवा लेते हैं । इन का जज़्बा सद करोड़ मरह़बा ! हर एक को इन अच्छों की नक़्ल करनी चाहिये । अपना आता अगर इदारे के पास रह गया तो कोई नुक़्सान नहीं मगर एक रुपिया भी क़स्दन **ना जाइज़** ले लिया तो आख़िरत के अ़ज़ाब की ताब किसी में नहीं ।

﴾17﴿ **मुराक़िब** (या'नी सुपर वाइज़र) या मुक़र्ररा ज़िम्मेदार तमाम मज़दूरों की ह़स्बे इस्तित़ाअ़त निगरानी करे । वक़्त और काम में कोताही और सुस्तियां करने वालों की मुकम्मल

कारकर्दगी (रिपोर्ट) कम्पनी या इदारे के **मु-तअ़ल्लिक़ा** अफ़्सर तक पहुंचाए। **मुराक़िब** (सुपर वाइज़र) अगर हमदर्दी या मुरव्वत या किसी भी सबब से जान बूझ कर पर्दा डालेगा तो ख़ाइन व गुनहगार और अ़ज़ाबे नार का ह़क़दार होगा।

﴾18﴿ **मज़्हबी** या समाजी इदारे के मुक़र्ररा **ज़िम्मेदारान** व **मुफ़त्तिशीन** अगर इदारे के मुलाज़िमीन की कोताहियों और ग़ैर क़ानूनी छुट्टियों से वाक़िफ़ होने के बा वुजूद **आंख आड़े कान** करें (या'नी जान बूझ कर अनजान बनें)गे और इस वजह से उन मुलाज़िमीन को वक़्फ़ की रक़म से मुकम्मल तन-ख़्वाह दी जाएगी तो लेने वालों के साथ साथ **मु-तअ़ल्लिक़ा** ज़िम्मेदार भी ख़ाइन व गुनहगार और अ़ज़ाबे नार के ह़क़दार होंगे।

﴾19﴿ **किसी** मज़्हबी इदारे में **इजारे** के शर-ई मसाइल पर सख़्ती से अ़मल देख कर नोकरी से कतराना या सिर्फ़ इस वजह से मुस्ता'फ़ी हो कर ऐसी जगह मुला-ज़मत इख़्तियार कर लेना जहां कोई पूछने वाला न हो इन्तिहाई ना मुनासिब है। ज़ेह्न येह बनाना चाहिये कि जहां **इजारे** के शर-ई अह़काम पर सख़्ती से अ़मल हो वहीं काम करूं ताकि इस की ब-र-कत से मा'सियत की नुहूसत से बचूं और ह़लाल और सुथरी रोज़ी भी कमा सकूं।

﴾20﴿ **जो** इजारे के मुत़ाबिक़ काम नहीं कर पाता म-सलन मुदर्रिस है मगर सह़ीह़ पढ़ा नहीं पा रहा तो उसे चाहिये कि फ़ौरन मुस्ताजिर (या'नी जिस से इजारा किया है उस) को मुत्त़लअ़ करे।

﴾21﴿ अगर वक़्फ़ के इदारे का कोई मुदर्रिस दुरुस्त नहीं पढ़ा पा रहा इसी त़रह़ नाज़िम या किसी त़रह़ का अजीर उ़र्फ़ व आ़दत से हट कर कोताहियां कर रहा है तो मु-तअ़ल्लिक़ा ज़िम्मेदार पर वाजिब है कि उस को मा'ज़ूल कर दे ।

﴾22﴿ अगर मख़्सूस मुद्दत म-सलन बारह माह के लिये मुला-ज़मत का इजारा हो तो अब फ़रीक़ैन की रिज़ा मन्दी के बिग़ैर इजारा ख़त्म नहीं हो सकता, सेठ का ख़्वाह म ख़्वाह धम्कियां देना कि (वक़्त से पहले ही) फ़ारिग़ कर दूंगा नीज़ इसी त़रह़ ज़रूरत मन्द सेठ को नोकर का डराते रहना कि नोकरी छोड़ कर चला जाऊंगा, दुरुस्त नहीं । हां जिन मजबूरियों को शरीअ़त तस्लीम करती है इस सूरत में दोनों में से कोई भी वक़्त से पहले इजारा ख़त्म कर सकता है ।

﴾23﴿ अगर किसी से कह दिया कि पहली तारीख़ से नोकरी या काम पर आ जाना और उजरत त़ै कर ली मगर मुद्दत त़ै नहीं की तो उर्फ़ देखा जाएगा अगर दिहाड़ी पर रखते हैं तो एक दिन का, हफ़्ते के लिये रखते हों तो एक हफ़्ते का और अगर महीने के लिये रखते हों तो एक महीने का अजीर क़रार पाएगा । म-सलन उस कामकाज में एक महीने का उर्फ़ (या'नी मा'मूल) हो तो सेठ और नोकर दोनों को इख़्तियार है कि महीना पूरा हो जाने पर इजारा ख़त्म कर दें, अगर इजारा ख़त्म न किया और दूसरे महीने की एक रात और एक दिन गुज़र गया तो अब येह महीना पूरा होने से क़ब्ल इजारा ख़त्म करने की इजाज़त नहीं, जब भी इजारा ख़त्म करना हो महीने के पहले दिन

ही ख़त्म करना होगा, हां महीना पूरा होने से क़ब्ल अजीर व मुस्ताजिर एक दूसरे को मुत्त़लअ़ कर सकते हैं कि आने वाले माह की पहली तारीख़ से इजारा ख़त्म हो जाएगा । **फ़तावा र-ज़विय्या** जिल्द 16 **सफ़ह़ा** 346 पर एक सुवाल के जवाब में लिखा है : आ़म रवाज येही है कि कोई मुद्दते इजारा मुअ़य्यन (या'नी fix) नहीं की जाती कि (म-सलन) साल भर के लिये तुझे इमाम किया या छ महीने के लिये बल्कि सिर्फ़ इमामत और इस के मुक़ाबिल माहवार इतना (मुशा-हरा, तन-ख़्वाह त़ै) पाने का बयान होता है, तो (इस त़रह़ का) इजारा सिर्फ़ पहले महीने के लिये सह़ीह़ हुवा और हर सिरे माह (या'नी हर महीने की इब्तिदा होते ही) अजीर व मुस्ताजिर हर एक को दूसरे के सामने इस के फ़स्ख़ (या'नी मन्सूख़) कर देने का इख़्तियार होता है । "**दुर्रे मुख़्तार**" में है : दुकान किराए पर दी कि हर माह इतना किराया होगा तो फ़क़त़ एक माह के लिये इजारा सह़ीह़ हुवा, बाक़ी महीनों में ब सबबे जहालत के (या'नी मुद्दत का तअ़य्युन वाज़ेह़ न होने की वजह से इजारा) फ़ासिद है और जब महीना पूरा हो गया तो दोनों में से हर एक को दूसरे की मौजू-दगी में इजारा फ़स्ख़ (या'नी मन्सूख़) करने का इख़्तियार है क्यूं कि अ़क़्दे सह़ीह़ ख़त्म हो गया । (دُرِّمُختار ج ۹ ص ۸٤)

﴿24﴾ **मुसल्मान** ने काफ़िर की ख़िदमत गारी की नोकरी की, येह मन्अ़ है बल्कि किसी ऐसे काम पर काफ़िर से **इजारा** न करे जिस में मुस्लिम

की ज़िल्लत हो (कि ऐसा इजारा जाइज़ नहीं) । (عالمگیری ج٤ص٤٣٥) उ़मूमी त़ौर पर येह काम या'नी काफ़िर के पाउं दबाना, उस के बच्चों की गन्दगियां उठाना, घर या दफ़्तर का झाड़ू पोचा करना, गन्द कचरा उठाना, लेट्रीन और गन्दी नालियों की सफ़ाई, उस की गाड़ी की धुलाई करना वग़ैरा ज़िल्लत में शामिल है । अलबत्ता ऐसी नोकरी जिस में मुसल्मान की ज़िल्लत न हो वोह काफ़िर के यहां जाइज़ है ।

25 सय्यिद ज़ादे को भी ज़िल्लत के कामों पर मुलाज़िम रखना जाइज़ नहीं । **दा'वते इस्लामी** के इशाअ़ती इदारे **मक-त-बतुल मदीना** की मत़्बूआ़ 692 सफ़ह़ात पर मुश्तमिल किताब, **''कुफ़्रिय्या कलिमात के बारे में सुवाल जवाब'' सफ़ह़ा** 284 ता 285 पर है : मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना **शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ान** عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن की ख़िदमत में **सुवाल** हुवा : **सय्यिद** के लड़के से जब शागिर्द हो या मुलाज़िम हो दीनी या दुन्यवी ख़िदमत लेना और उस को मारना जाइज़ है या नहीं ? **अल जवाब :** ज़लील ख़िदमत उस से लेना जाइज़ नहीं, न ऐसी ख़िदमत पर उसे मुलाज़िम रखना जाइज़ । और जिस ख़िदमत में ज़िल्लत नहीं उस पर मुलाज़िम रख सकता है, बह़ाले शागिर्द भी जहां तक उ़र्फ़ और मा'रूफ़ हो (ख़िदमत लेना) शरअ़न जाइज़ है, ले सकता है और उसे (या'नी सय्यिद को) मारने से मुत़्लक़ एह़तिराज़ (या'नी बिल्कुल परहेज़) करे । وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَم

(फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 22, स. 568)

﴾26﴿ **मुलाज़िम** अपने दफ़्तर वग़ैरा का क़लम, काग़ज़ और दीगर अश्या अपने **ज़ाती** कामों में सर्फ़ करने से इज्तिनाब (या'नी परहेज़) करे।

﴾27﴿ अगर इदारे की त़रफ़ से ज़ाती काम में टेलीफ़ोन इस्ति'माल करने की इजाज़त हो तो इजाज़त की ह़द तक इस्ति'माल कर सकते हैं अगर इजाज़त नहीं तो ज़ाती काम के लिये इस्ति'माल करना ना जाइज़ व गुनाह है।

﴾28﴿ इजारे के वक़्त में कभी कभार बहुत क़लील (या'नी थोड़े से) वक़्त के लिये ज़ाती फ़ोन सुनने की उ़र्फ़न इजाज़त होती है। अलबत्ता अगर कोई इजारे के अवक़ात में बार बार फ़ोन सुनता है और फिर बातचीत भी दस पन्दरह मिनट से कम नहीं होती इस त़रह़ के ज़ाती फ़ोन सुनना जाइज़ नहीं कि इस त़रह़ काम और मुस्ताजिर (या'नी इजारे पर लेने वाले) का भी नुक़्सान होगा।

﴾29﴿ मुलाज़िम को इजारे की मुद्दत के दौरान बात बात पर धमकी देना कि मुद्दत पूरी होने से पहले ही नोकरी से निकाल दूंगा दुरुस्त नहीं बल्कि बा'ज़ अवक़ात किसी छोटी सी बात पर ग़ुस्सा आ जाने पर निकाल भी देते हैं ऐसा करना जाइज़ नहीं, हां कोई बहुत बड़ा मुआ़-मला दरपेश हुवा जो शरअ़न यक-त़रफ़ा इजाज़त से फ़स्ख़ करने का उ़ज़्र हो तो दोनों में से कोई भी इजारा ख़त्म कर सकता है म-सलन दूसरे मुल्क में गया और दो[2] साल का इजारा त़ै हुवा मगर एक साल पूरा होते ही Visa की मुद्दत ख़त्म हो गई और

मज़ीद न मिला तो मुलाज़िम इजारा ख़त्म कर दे क्यूं कि क़ानूनी जुर्म होने की वजह से बिग़ैर Visa उसे वहां रहना जाइज़ नहीं।

﴾30﴿ अगर नोकरी (या किराए पर ली हुई दुकान वग़ैरा) छोड़ना हो तो एक माह पहले बताना होगा वरना एक महीने की तन-ख़्वाह काटी जाएगी (या किराया वुसूल किया जाएगा), मुलाज़िम (या किराया दार) से इस त़रह़ का किया हुवा मुआ़-हदा बात़िल है। अगर उस ने एक माह पहले बताए बिग़ैर नोकरी ख़त्म कर दी (या किराए पर ली हुई जगह ख़ाली कर दी) तब भी तन-ख़्वाह काटना (या ज़ाइद किराया वुसूल करना) ज़ुल्म होगा, ऐसे मौक़अ़ पर एक महीना तो क्या एक घन्टे की भी तन-ख़्वाह काटी (या ज़ाइद किराया वुसूल किया) तो गुनहगार और अ़ज़ाबे नार का ह़क़दार होगा।

﴾31﴿ **मुलाज़िम** ने अगर मरज़ की वजह से छुट्टी कर ली या काम कम किया तो मुस्ताजिर (या'नी जिस से इजारा किया है उस) को तन-ख़्वाह में से **कटोती** करने का ह़क़ ह़ासिल है। मगर इस की सूरत येह है कि जितना काम कम किया सिर्फ़ उतनी ही कटोती की जाए म-सलन 8 घन्टे की ड्यूटी थी और तीन घन्टे काम न किया तो सिर्फ़ तीन घन्टे की उजरत काटी जाए, पूरे दिन बल्कि आधे दिन की उजरत काट लेना भी ज़ुल्म है। (तफ़्सील के लिये फ़तावा र-ज़विय्या जिल्द 19 सफ़ह़ा 515 ता 516 देख लीजिये)

﴾32﴿ **इमाम** व **मुअज़्ज़िन** उ़र्फ़ व आ़दत की छुट्टियों के इलावा अगर ग़ैर ह़ाज़िरी करें तो तन-ख़्वाह में **कटोती** करवा लिया

करें। म-सलन इमाम की तीन हज़ार रुपै माहाना तन-ख़्वाह है तो छुट्टियां करने पर फ़ी नमाज़ 20 रुपै कटवा लें, इसी त़रह़ **मुअज़्ज़िन** साहिब भी ह़िसाब लगा लें। (बिला उ़ज़्रे सह़ीह़ क़स्दन मुआ़-हदे की ख़िलाफ़ वर्ज़ी की और छुट्टियां करता रहा तो कटोतियां करवाने के बा वुजूद गुनाह ज़िम्मे बाक़ी रहेंगे, लिहाज़ा सच्ची तौबा करे और इस त़रह़ की मन मानी छुट्टियों से बाज़ रहे)

﴾33﴿ इमाम व **मुअज़्ज़िन**, ख़ादिमे मस्जिद और (दीनी व दुन्यवी) हर त़रह़ की मुला-ज़-मतों में उ़र्फ़ व आ़दत (या'नी जारी मा'मूल) के मुत़ाबिक़ की जाने वाली छुट्टियों में तन-ख़्वाह की कटोती नहीं की जा सकती, अलबत्ता उ़र्फ़ (राइज त़रीक़े) से हट कर जो छुट्टियां की जाएं उन पर तन-ख़्वाह काटी जाए।

﴾34﴿ जो अपने पल्ले से तन-ख़्वाह देता हो उसे इमाम या **मुअज़्ज़िन** वग़ैरा के उ़र्फ़ से ज़ाइद छुट्टी करने पर कटोती करने न करने का इख़्तियार है। इसी त़रह़ सेठ अपने नोकर के मुआ़-मले में बा इख़्तियार है।

﴾35﴿ हमारे उ़र्फ़ में इमाम व **मुअज़्ज़िन** को महीने में एक या दो छुट्टियां करने की इजाज़त होती है, वोह इन छुट्टियों की तन-ख़्वाह पाएंगे। अलबत्ता मुख़्तलिफ़ अ़लाक़ों के ए'तिबार से उ़र्फ़ मुख़्तलिफ़ हो सकता है।

﴾36﴿ अगर इमाम या **मुअज़्ज़िन** दा'वते इस्लामी के तीन दिन के म-दनी क़ाफ़िले में सफ़र करें तो कम अज़् कम एक दिन की

तन-ख़्वाह ज़रूर कटवाएं और एक दिन की भी सिर्फ इसी सूरत में जब कि उस महीने में किसी और दिन की छुट्टी न करें । अल ग़रज़ माहाना दो छुट्टियों के इलावा ज़ाइद छुट्टियों की तन-ख़्वाह कटवा दें जब कि उ़र्फ़ में सिर्फ़ दो छुट्टियां हों ।

﴾37﴿ कभी कभी इमाम नमाज़ की और **मुअज़्ज़िन** अज़ान की छुट्टी कर लिया करते हैं, ऐसे मवाक़ेअ़ पर वहां का उर्फ़ (या'नी मा'मूल) देखा जाएगा । अगर इस त़रह़ की छुट्टियों पर वहां कटोती नहीं की जाती तो न की जाए वरना कर ली जाए ।

﴾38﴿ मु-तवल्लियाने मस्जिद की रिज़ा मन्दी की सूरत में इमाम व **मुअज़्ज़िन** उ़र्फ़ से ज़ाइद छुट्टियों में अपना नाइब दे दिया करें तो तन-ख़्वाह नहीं काटी जाएगी ।

﴾39﴿ हमारे यहां उ़मूमन **मुअज़्ज़िन** से सरा-ह़तन (या'नी वाज़ेह़ त़ौर पर) या दला-लतन त़ै (या'नी understood) होता है कि वोह इमाम की ग़ैर ह़ाज़िरी में नमाज़ पढ़ाएगा, ऐसी सूरत में इमाम उस को अपना नाइब नहीं बना सकता किसी और को बनाए । दूसरे को नाइब बनाने से **मुअज़्ज़िन** या इन्तिज़ामिया ख़ुश न हों तो ज़रूरी है कि नाइब के तक़र्रुर के बजाए कटोती करवाए, अलबत्ता येह सूरत हो सकती है कि **मुअज़्ज़िन** साह़िब और इन्तिज़ामिया से मुशा-वरत के बा'द किसी का बत़ौरे नाइब तक़र्रुर कर ले ।

﴾40﴿ इमाम व **मुअज़्ज़िन** सालाना कमो बेश एक हफ़्ते के लिये अपने अ़ज़ीज़ो अक़्रिबा से मिलने बैरूने शह़र जा सकते हैं इन दिनों की

तन-ख़्वाह के ह़क़दार रहेंगे ।

﴾41﴿ इमाम, **मुअज़्ज़िन** या किसी भी दुकान वग़ैरा का मुलाज़िम सख़्त बीमार हो जाए या उस के यहां कोई इन्तिक़ाल कर जाए तो इन सूरतों में होने वाली छुट्टियों में वहां का उ़र्फ़ देखा जाएगा अगर तन-ख़्वाह काटने का उ़र्फ़ (या'नी मा'मूल) है तो काट ली जाए वरना न काटी जाए ।

﴾42﴿ इमाम या **मुअज़्ज़िन** या मुदर्रिस या किसी मुलाज़िम का घर दूर है, ''पय्या जाम हड़ताल'' की वजह से सुवारी न मिली या हंगामों के सह़ीह़ ख़ौफ़ के सबब छुट्टी हो गई तो अगर पहले से तै़ हो गया था कि ऐसे मवाक़ेअ़ पर तन-ख़्वाह नहीं काटी जाएगी या वहां का उ़र्फ़ (या'नी मा'मूल) ही ऐसा हो कि ऐसे मवाक़ेअ़ पर कटोती नहीं होती तो इस त़रह़ की छुट्टी की तन-ख़्वाह पाएगा । याद रहे ! मा'मूली हड़ताल छुट्टी के लिये उ़ज़्र नहीं ।

﴾43﴿ ह़ज या उ़म्रे की वजह से होने वाली छुट्टियों की तन-ख़्वाह कटवानी होगी । (देखिये : फ़तावा र-ज़विय्या जिल्द 16 सफ़ह़ा 209)

﴾44﴿ अगर 28 तारीख़ को तर्के मुला-ज़मत की तो (हिजरी सिन के माह के ए'तिबार से नोकरी हो तो) बक़िय्या अय्याम म-सलन एक दो दिन या (ई-सवी सिन के माह के ए'तिबार से नोकरी हो तो) बक़िय्या तीन दिन की तन-ख़्वाह का मुस्तह़िक़ नहीं ।

﴾45﴿ **निजी** इदारे के सेठ या उस के नाइब की इजाज़त से कामकाज के अवक़ात में मुलाज़िम **सुन्नते ग़ैर मुअक्कदा, नवाफ़िल** और

दीगर **अज़्कार** पढ़ सकता नीज़ इजाज़त के साथ ही दर्स, सुन्नतों भरे इज्तिमाअ़ वग़ैरा मुस्तह़ब कामों में शिर्कत कर सकता है ।

﴾46﴿ **चोकीदार**, गार्ड या पोलीस वग़ैरा जिन का काम जाग कर पहरा देना होता है अगर ड्यूटी के अवक़ात में इरा-दतन सो गए तो गुनहगार होंगे और (क़स्दन या बिला क़स्द) जितनी देर सोए या ग़ाफ़िल हुए उतनी देर की **उजरत** कटवानी होगी ।

﴾47﴿ मुलाज़िमीन का मुत़ा-लबात मन्ज़ूर करवाने या कुछ ह़ालात बेहतर करवाने के लिये काम करने से इन्कार करते हुए हड़ताल करना (या'नी काम से रुकना), मुलाज़िम और मालिक के माबैन मुआ़-हदे की ख़िलाफ़ वर्ज़ी है ऐसा करना मन्अ़ है ।

﴾48﴿ एक ही वक़्त के अन्दर दो जगह नोकरी करना या'नी इजारे पर इजारा करना **ना जाइज़** है। अलबत्ता अगर वोह पहले ही से कहीं नोकरी पर लगा हुवा है तो अब अपने सेठ की इजाज़त से दूसरी जगह काम कर सकता है, जब कि पहली जगह के सबब दूसरी जगह के काम में किसी त़रह़ की कोताही न होती हो ।

﴾49﴿ **उ़र्फ़** के मुत़ाबिक़ जो छुट्टी होती है उस में मुस्ताजिर (सेठ) अपने मुलाज़िम से काम नहीं ले सकता अगर जब्रन लेगा तो गुनहगार होगा । हां हुक्मिया लहजे में नहीं फ़क़त़ दर-ख़्वास्त करने पर मुलाज़िम ख़ुशदिली से काम कर दे या छुट्टी के अवक़ात में किये जाने वाले काम की बाहम अलग से उजरत त़ै कर ली जाए तो फिर **जाइज़** है । येह क़ाइदा याद रखिये ! जहां दला-लतन (या'नी

अ़लामत से मा'लूम। understood) या सरा-ह़तन (या'नी खुल्लम खुल्ला, ज़ाहिरन) उजरत साबित हो वहां तै़ करना **वाजिब** है। ऐसे मौक़अ़ पर तै़ करने के बजाए इस त़रह़ कह देना : काम पर आ जाओ देख लेंगे, जो मुनासिब होगा दे देंगे, ख़ुश कर देंगे, ख़र्ची मिलेगी वग़ैरा अल्फ़ाज़ क़त़्अ़न नाकाफ़ी हैं। बिग़ैर तै़ किये उजरत लेना देना गुनाह है, तै़ शुदा से ज़ाइद त़लब करना भी मम्नूअ़ है। येह क़ाइदा रिक्शा टेक्सी के ड्राइवरों, हर त़रह़ के कारीगरों वग़ैरा और इन से काम करवाने वालों को याद रखना ज़रूरी है। अलबत्ता जहां फ़रीक़ैन को लगी बंधी (या'नी fix) उजरत या किराए का मा'लूम हो वहां तै़ करने की ह़ाजत नहीं नीज़ जहां ऐसा मुआ़-मला हो कि काम करवाने वाले ने कहा : कुछ नहीं दूंगा, इस ने भी कह दिया कुछ नहीं लूंगा और फिर अपनी मरज़ी से दे दिया तो इस लैन दैन में कोई ह़रज नहीं।

﴾50﴿ **मज़दूरी** या ड्यूटी में सुस्ती और छुट्टियों के बा वुजूद जो मुकम्मल उजरत या तन-ख़्वाह लेता रहा और अब नादिम है तो उस के लिये सिर्फ़ ज़बानी तौबा काफ़ी नहीं, तौबा करने के साथ साथ आज तक जितनी उजरत या तन-ख़्वाह ज़ाइद ह़ासिल की है उस की भी शर-ई तरकीब करनी होगी। चुनान्चे इस मस्अले का ह़ल बयान करते हुए मेरे आक़ा **आ'ला ह़ज़रत** رَحْمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہ फ़रमाते हैं : (जितना काम किया) उस से जो कुछ ज़ियादा मिला (हो वोह) मुस्ताजिर (या'नी जिस ने उजरत पर रखा उसी) को वापस (लौटा)

दे, वोह न रहा हो (तो) उस के वारिसों को दे, उन का भी पता न चले (तो) मुसल्मान मोह़ताज (या'नी मुसल्मान फ़क़ीर या मिस्कीन) पर तसद्दुक़ (या'नी ख़ैरात) करे। अपने सर्फ़ (या'नी इस्ति'माल) में लाना या ग़ैरे स-दक़ा में सर्फ़ (ख़र्च) करना **ह़राम** है। (फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 19, स. 407) वक़्फ़ के इदारे में बहर ह़ाल वापस ही करनी होगी अगर रक़म याद नहीं तो ज़न्ने ग़ालिब के ह़िसाब से मालिय्यत तै़ कर के बयान कर्दा हुक्मे शर-ई पर अ़मल कीजिये। याद रखिये! पराया माल ना जाइज़ त़रीके़ पर खा डालना मह़शर में फंसा सकता है चुनान्चे **फ़रमाने मुस्त़फ़ा** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم है: "जो शख़्स पराया माल ले लेगा वोह क़ियामत के दिन **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ से कोढ़ी हो कर मिलेगा।"

(اَلْمُعْجَمُ الْكَبِير ج ١ ص ٢٣٣ حديث ٦٣٧)

नोट : येह रिसाला "मुलाज़िमीन के लिये 21 म-दनी फूल" पहली बार 3 **जुमादल ऊला** 1427 सि.हि. (ब मुत़ाबिक़ मई 2006 ई.) को मन्ज़रे आ़म पर आया और कई बार शाएअ़ किया गया फिर मज़ीद तरमीम व इज़ाफ़े के साथ त़ब्अ़ हुवा। **जुमादल ऊला** 1434 सि.हि. (ब मुत़ाबिक़ मार्च 2013 ई.) में इस पर नज़रे सानी की।

त़ालिबे ग़मे मदीना
व बक़ीअ़ व मग़्फ़िरत
व बे ह़िसाब
जन्नतुल फ़िरदौस
में आक़ा का पड़ोस

जुमादल ऊला 1434 सि.हि.
मार्च 2013 ई.

फ़रमाने मुस्त़फ़ा صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَ اٰلِہٖ وَسَلَّم : जिस के पास मेरा ज़िक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़ा तह़क़ीक़ वोह बद बख़्त हो गया । (ابن سنی)

ماٰخذ و مراجع

کتاب	مطبوعہ	کتاب	مطبوعہ
قرآن مجید	مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراچی	مسند امام احمد بن حنبل	دار الفکر بیروت
نور العرفان	پیر بھائی کمپنی مرکز الاولیاء لاہور	تاریخ بغداد	دار الکتب العلمیۃ بیروت
بخاری	دار الکتب العلمیۃ بیروت	درمختار	دار المعرفۃ بیروت
مسلم	دار ابن حزم بیروت	ردّ المحتار	دار المعرفۃ بیروت
ترمذی	دار الفکر بیروت	فتاوٰی رضویہ	رضا فاؤنڈیشن مرکز الاولیاء لاہور
ابن ماجہ	دار المعرفۃ بیروت	بہار شریعت	مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراچی
معجم کبیر	دار احیاء التراث العربی بیروت	احیاء العلوم	دار صادر بیروت
معجم اوسط	دار الکتب العلمیۃ بیروت	مکاشفۃ القلوب	دار الکتب العلمیۃ بیروت

येह रिसाला पढ़ कर दूसरे को दे दीजिये

शादी ग़मी की तक़रीबात, इज्तिमाआ़त, आ'रास और जुलूसे मीलाद वग़ैरा में **मक-त-बतुल मदीना** के शाएअ़ कर्दा रसाइल और म-दनी फूलों पर मुश्तमिल पेम्फ़लेट तक़्सीम कर के सवाब कमाइये, गाहकों को ब निय्यते सवाब तोह़फ़े में देने के लिये अपनी दुकानों पर भी रसाइल रखने का मा'मूल बनाइये, अख़्बार फ़रोशों या बच्चों के ज़रीए अपने मह़ल्ले के घर घर में माहाना कम अज़ कम एक अ़दद सुन्नतों भरा रिसाला या म-दनी फूलों का पेम्फ़लेट पहुंचा कर नेकी की दा'वत की धूमें मचाइये और ख़ूब सवाब कमाइये ।

नाम रिसाला : **ह़लाल त़रीक़े से कमाने के 50 म-दनी फूल**

पहली बार : शा'बानुल मुअ़ज़्ज़म 1434 सि.हि., जून 2013 ई.

ता'दाद : 5000

नाशिर : मक-त-बतुल मदीना, फ़ैज़ाने मदीना, त्री कोनिया बग़ीचे के सामने, मिरज़ापूर, अहमदआबाद-1, गुजरात, इन्डिया

म-दनी इल्तिजा : किसी और को येह रिसाला छापने की इजाज़त नहीं है।

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

शफ़ाअ़त वाजिब हो गई

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم : जिस ने येह कहा :

"اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ
وَّاَنْزِلْہُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ
عِنْدَکَ یَوْمَ الْقِیَامَۃِ" [1]

उस के लिये मेरी शफ़ाअ़त वाजिब हो गई ।

(معجم کبیر ج۵ ص۲۵ حدیث ۴۴۸۰)

1 : ऐ अल्लाह عَزَّوَجَلَّ हज़रते मुहम्मद صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم पर रहमत नाज़िल फ़रमा और उन्हें क़ियामत के रोज़ अपनी बारगाह में मुक़र्रब मक़ाम अ़ता फ़रमा ।

मक-त-बतुल मदीना®
दा'वते इस्लामी
مکتبۃ المدینہ
फ़ैज़ाने मदीना, त्री कोनिया बग़ीचे के सामने, मिरज़ापुर, अहमदआबाद-1, गुजरात, इन्डिया
Mo.091 93271 68200 E-mail : maktabaahmedabad@gmail.com www.dawateislami.net